5.15 गिरवी रखने वाले का अधिकार (Rights of Pawnor)

साधारणतया गिरवी रखने वाले के वही अधिकार होते है जो निक्षेपी के होते हैं। किन्तु इस अधिकार के अलावे निम्नलिखित विशिष्ट अधिकार भी है-

(i) यदि गिरवी रखने वाला निश्चित समय पर ऋण का भुगतान नहीं करता है अथवा गिरवी रख लेने वाला उचित सूचना देकर गिरवी रखी गयी वस्तु को बेच रहा है तो गिरवी रखने वाले को यह अधिकार होता है कि वह विक्रय के पूर्व ऋण का भुगतान करके वस्तु को छुड़ा लें। लेकिन उसे उन सभी व्ययों का भुगतान करना पड़ेगा जो उसकी त्रुटि के कारण गिरवी रख लेने वाले को करना पड़ा है। (धारा 177)

(ii) यदि गिरवी रखने वाला निश्चित समय पर ऋण का भुगतान या वचन का निष्पादन करता है तो उसे गिरवी रखी गयी वस्तु को वापस पाने का अधिकार होता हैं।

(iii) यदि, गिरवी रखे गये माल में कोई वृद्धि या लाभ हुआ है, तो गिरवी रखने वाला इस वृद्धि एवं लाभ को भी पाने का अधिकारी है।

(iv) यदि, गिरवी रख लेने वाला गिरवी रखे गये माल का गलत उपयोग करता है तथा इस दुरूपयोग के कारण माल को कोई क्षति होती है तो गिरवी रखने वाले को यह अधिकार होता है कि वह गिरवी रख लेने वाले से क्षतिपूर्ति प्राप्त करें।

Scanned with CamScanner

(v) यदि ऋण का भुगतान करने के लिए गिरवी के माल को बेचा जा सकता है एवं बिक्री से प्राप्त राशि, ऋण की राशि से अधिक हो, तो इस आधिक्य (Surplus) को गिरवी रखने वाला पाने का अधिकारी होगा।

5.116 गिरवी रखने वाले का कर्त्तव्य (Duties of Pawnor)

गिरवी रखने वाले के वहीं कर्त्तव्य होते हैं जो एक निक्षेपी का होता है। फिर भी गिरवी रखने वाले के प्रमुख कर्त्तव्य निम्नलिखित है-

(i) ऋण का भुगतान करना अथवा अपने वचन का निष्पादन करना।

(ii) गिरवी के माल की सुरक्षा के लिये किये गये असाधारण व्ययों का भुगतान करना। (धारा 175)

(iii) यदि गिरवी रख लेने वाला बाध्य होकर गिरवी रखे गये माल की बिक्री करता है और ऐसे बेचे गये माल की बिक्री से प्राप्त धनराशि बकाया धन (ब्याज व व्यय सहित) से कम होने पर हानि की पूर्ति के लिए बाध्य होगा। (धारा 176)

(iv) ऋण के भुगतान अथवा वचन के निष्पादन में त्रुटि होने पर गिरवी रख लेने वाले को यदि कोई क्षति होती है तो इस क्षति की पूर्ति करना।

5.17 गिरवी रखने वाले का अधिकार (Right of Pawnee)

गिरवी रखने वाले व्यक्ति के निम्नलिखित मुख्य अधिकार है-

(1) माल को रोकने का अधिकार (Right of retainer) - धारा 178 के अनुसार गिरवी रखने वाला गिरवी रखे गये माल को तबतक अपने पास रोके रख सकता है जबतक कि उसे मूल ऋण, उस देय ब्याज एवं माल को सुरक्षित रखने पर किए गए समस्त आवश्यक खर्चों का पूर्ण भुगतान नहीं मिल जाता। किन्तु इस विशिष्ट पूर्वाधिकार का उपयोग, किसी विपरीत अनुबन्ध के अभाव में, केवल उसी ऋण या वचन के लिए गिरवी रख लेने वाला कर सकता है जिसके लिए वह माल गिरवी रखा गया था, किसी अन्य ऋण या वचन के लिए नहीं।

(2) असाधारण व्यय प्राप्त करने का अधिकार - गिरवी रख लेने वाला, गिरवी रखने वाले से उन समस्त असाधारण खर्चों को भी प्राप्त करने का अधिकारी है जो उसने माल को सुरक्षित रखने के लिए किए हो। किन्तु असाधारण व्ययों के भुगतान के लिए, वह गिरवी रखे हुए माल को रोक नहीं सकता, केवल दावा कर सकता है।

(3) बाद में दिए गए ऋण के लिए माल रोकने का अधिकार - यदि गिरवी रख लेने वाले गिरवी अनुबन्ध किए जाने के बाद उस गिरवीकर्त्ता को कुछ और ऋण देता है, तब किसी विपरीत अनुबन्ध के अभाव में यह मान लिया जाता है कि जमानत के रूप में दी गई वस्तुओं को इस बाद में दिए गए ऋण के लिए भी रोका जा सकता है।

(4) गिरवीकर्त्ता के श्रेष्ठ अधिकार (Better title) - जब गिरवी रखने वाले व्यक्ति का वस्तु पर अधिकार व्यर्थनीय अनुबन्ध के अन्तर्गत प्राप्त हुआ है, और गिरवी करते समय वह अनुबन्ध खण्डित नहीं किया गया है, तो गिरवी रख लेने वाले को उस वस्तु पर श्रेष्ठ अधिकार प्राप्त हो जाता है, बशर्ते कि उसने वस्तु को सद्भावना से प्राप्त किया हो और उसे गिरवी रखने वाले के दोषपूर्ण अधिकार की जानकारी न हो।

(5) गिरवी कर्त्ता द्वारा त्रुटि की स्थिति में प्राप्त अधिकार - यदि गिरवी रखने वाला निश्चित समय पर ऋण का भुगतान या अपने वचन का पालन नहीं करता तो गिरवी रख लेने वाले को निम्नलिखित विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं-

Scanned with CamScanner

(i) वह गिरवी रखे हुए माल को समपार्श्विक जमानत के रूप में अपने पास रोककर गिरवीकर्त्ता के विरूद्ध ऋण अथवा वचन के पालन के लिए मुकदमा कर सकता है।

(ii) वह माल को जमानत के रूप में रोक सकता है, एवं

(iii) वह गिरवीकर्त्ता को उचित सूचना देकर गिरवी रखे हुए माल को बेच सकता है, अगर गिरवी रखे गए माल को बेचने पर भी सम्पूर्ण राशि का भुगतान नहीं हो पाता तो वह शेष रकम गिरवीकर्त्ता से वसूल कर सकता है। किन्तु अगर उसे माल बेचने से देय राशि से अधिक बाध्य है।

5.18 गिरवी रख लेने वाले के कर्त्तव्य (Duties of Pawnee)

(i) गिरवी के अन्तर्गत प्राप्त माल की उचित देख-भाल करना एवं उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करना।

(ii) गिरवी पर रखे गए माल का उपयोग न करना।

(iii) उस माल को अपने माल से पृथक रखना।

(iv) गिरवी की अवधि समाप्त होने पर माल को उसके स्वामी को लौटाना।

(v) गिरवीकर्त्ता की त्रुटि की स्थिति से उसका माल बेचने के पूर्व उसे उचित सूचना देना।

(vi) असाधारण व्यय पाने के लिए गिरवी के माल को न रोकना, एवं

(vii) गिरवी के माल में हुई वृद्धि अथवा लाभ को माल के साथ वापस करना।

5.19 अ-स्वामी द्वारा गिरवी (Pledge by Non-owners)

साधारणतः केवल वस्तुओं का वास्तविक स्वामी उसके द्वारा अधिकृत ही उन्हें गिरवी रख सकता है यदि कोई अन्य व्यक्ति, जो कि माल का वास्तविक स्वामी नहीं है, उसे गिरवी रखता है तो गिरवी का वह अनुबन्ध व्यर्थ होता है। यह नियम वस्तुओं के वास्तविक स्वामी के हितों की रक्षा के लिए बनाया है, अन्यथा कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति का माल उठाकर गिरवी रख देगा। किन्तु कुछ परिस्थितियों में एक अ-स्वामी द्वारा किया गया गिरवी का अनुबन्धभी वैध माना जाता है, जो निम्नलिखित है-

(i) व्यापारिक एजेन्ट द्वारा गिरवी - धारा 178 के अनुसार यदि किसी व्यापारिक एजेन्ट द्वारा माल की गिरवी रखी जाती है और निक्षेपगृहीता ने यह कार्य सद्भावना से किया है तो यह गिरवी उसी प्रकार वैध होगी जैसे वास्तविक स्वामी द्वारा रखने पर होती है।

(ii) व्यर्थनीय अनुबन्ध के अधीन अधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा गिरवी - यदि गिरवी कर्त्ता ने कोई माल एक व्यर्थनीय अनुबन्ध के अन्तर्गत प्राप्त किया है और वह अनुबन्ध निरस्त किए जाने के पूर्व ही, उसे गिरवी रख देता है तो गिरवी का अनुबंध वैध होगा, बशर्ते कि गिरवी रख लेने वाले ने सद् विश्वास के साथ काम किया हो एवं उसे गिरबीकर्त्ता के दोषपूर्ण अधिकार की कोई जानकारी न रही हो।

(iii) माल पर सीमित हित रखने वाले द्वारा गिरवी - यदि गिरवीकर्त्ता माल का वास्तविक स्वामी नहीं है किन्तु उस माल में उसका कुछ हित निहित है तो ऐसे माल की गिरवी उसी सीमा तक वैध होगी जितनी सीतनी सीता वह गिरवीकर्त्ता का हित उसमें निहित है।

(iv) सह-स्वामी द्वारा गिरवी - यदि किसी वस्तु में दो या दो से अधिक स्वामी है एवं उनमें से कोई सह स्वामी

Scanned with CamScanner

ऐसे माल को गिरवी रख देता है, तो वह गिरवी वैध मानी जायेगी, बशर्ते गिरवीगृहीता को इस तथ्य की जानकारी न हो।

(v) विक्रय के बाद माल का अधिकार रखने वाले क्रेता द्वारा गिरवी - वस्तु विक्रय अधिनियम की धारा 30 के अनुसार, यदि विक्रय के बाद माल पर अधिकार रखने वाले क्रेता या विक्रेता द्वारा माल की गिरवी रखी जाती है तो ऐसे माल की गिरवी वैध मानी जाती है, चाहे ऐसे माल का मूल्य चुका दिया हो अथवा नहीं, बशर्ते गिरवी रख लेने वाले क्रेता या विक्रेता के इस दोषपूर्ण अधिकार की जानकारी न हो।

.20 सारांश (Summing up)

निक्षेप के अन्तर्गत कोई वस्तु एक निर्धारित उद्देश्य से किसी व्यक्ति के पास एक निर्धारित समय के लिये रखा जाता तथा उद्देश्य के पूरा हो जाने पर वस्तु उसके मालिक को वापस कर दिया जाता है जबकि गिरवी पक्ष सम्पत्ति के जमानत पर ण लेने का एक माध्यम है निक्षेपी का अधिकार निक्षेपगृहीता का कर्त्तव्य तथा निक्षेपी का कर्त्तव्य निक्षेपगृहीता का अधिकार माना ता है।

Scanned with CamScanner